

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

:: दिनांक 04.11.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 04.11.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

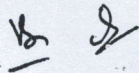
- | | |
|---|-------|
| 1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल,
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. डॉ. सौम्या झा
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

निम्न 03 बन्दियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
कपिल गुप्ता पुत्र रामराज गुप्ता	के.का. अजमेर	324/2022	18.10.2022	21.10.2022
रेखु उर्फ रेखचन्द पुत्र मांगेलाल	के.का. अलवर	578/2022	21.10.2022	02.11.2022
तेजाराम पुत्र भंवरूराम	के.का. जोधपुर	359/2022	21.10.2022	03.11.2022

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-

1. रेखु उर्फ रेखचन्द पुत्र मांगेलाल, के.का. अलवर
बंदी द्वारा दिनांक 02.11.2022 तक 07 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।



बंदी खुला शिविर के लिए दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में बनायी गयी वरिष्ठता सूची के अनुसार उस समय बंदी द्वारा 06 वर्ष 04 माह की सजा ही भुगती गई थी जबकि आजीवन कारावास की सजा होने के कारण नियमानुसार न्यूनतम 06 वर्ष 08 माह की सजा भुगते जाने पर ही बंदी, खुला शिविर के लिए पात्र होता है। इसलिए बंदी के प्रकरण पर विचार नहीं किया गया। बंदी के पिता द्वारा दिनांक 18.08.2022 को बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बन्दी के संबंध में पुनः जानकारी प्राप्त की गई। उसके द्वारा दिनांक 02.11.2022 तक 07 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली गई है। वर्तमान परिस्थिति में बन्दी, खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र है। बन्दी की वरिष्ठता दिनांक 18.05.2022 को आयोजित बैठक में खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र माने गये अन्तिम बन्दी (06 वर्ष 03 माह 14 दिवस) से 01 वर्ष 01 माह 01 दिवस अधिक है।

अतः बंदी खुला शिविर हेतु पात्रता अर्जित कर लेने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी रेखु उर्फ रेखचन्द पुत्र मांगेलाल को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार के अन्य प्रकरण हों तो उनको भी मंगवाया जाकर उनके संबंध में भी विचार करने का निर्णय लिया गया।

2. तेजाराम पुत्र भंवरूराम, के.का. जोधपुर

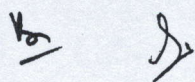
बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 08 वर्ष 02 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 10.03.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन होने के कारण बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 से दो माह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बंदी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 76/15(139/10) विचाराधीन था जिसमें माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला नागौर के निर्णय दिनांक 13.05.2022 द्वारा दोषमुक्त किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में यह बन्दी, खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी तेजाराम पुत्र भंवरूराम को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।



अस्वीकृत प्रकरण का विवरण:-

1. कपिल गुप्ता पुत्र रामराज गुप्ता, के.का. अजमेर

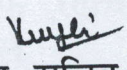
बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 07 वर्ष 09 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 10.03.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के प्रतिबंधित धारा 396, 460 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) के अंतर्गत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

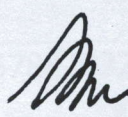
माननीय न्यायालय द्वारा बंदी के प्रकरण पर विचार कर दो माह में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

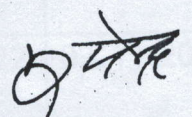
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में बंदी के प्रकरण पर विचार किया गया। बंदी द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में दीवार फांदकर चारपाई पर सो रही संतोष उर्फ पपुडी मालन के गले में तौलिये से गाँठ लगाकर हत्या कर दी व उसके द्वारा पहने जेवरात लूट लिये उसके बाद कमरे में सो रहे उसके पुत्र द्वारा विरोध करने पर उसकी भी गले व शरीर पर जगह-जगह चाकूओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बंदी का यह कृत्य अत्यन्त गंभीर है। बन्दी की वर्तमान में आयु 32 वर्ष है जिसे खुला शिविर में भेजे जाने से बन्दी द्वारा पुनः इस प्रकार का कृत्य करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रतिबंधित धारा में सजा होने व गंभीर अपराध कारित करने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी कपिल गुप्ता पुत्र रामराज गुप्ता को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।


सदस्य सचिव
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
संयुक्त शासन
सचिव, गृह
(गुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।


सदस्य
अति. महानिदेशक
कारागार राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान
जयपुर।